

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अन्देशकार मंदिर, जी 3/1, राजमहल रजिस्टरी कंट्री, जयपुर

क्रमांक:- एफ 15 ()सा.सु./वृ.क./सान्यावि/18-19/

दिनांक

5909

29/01/19

आदेश

विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने, प्रचार प्रसार करने एवं योजनाओं के सरलीकरण आदि के सुझाव देने का कार्य कई स्वयंसेवी संस्थाओं/नागरिक समितियों/प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों/सेवानिवृत्त व्यक्तियों द्वारा निःस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं/नागरिकों/सेवानिवृत्त व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से योजनाओं के प्रचार प्रसार, लाभार्थियों को आवेदन पत्र में मदद करने, गैप विश्लेषण, सरलीकरण हेतु सकारात्मक सुझाव तथा सामाजिक अंकेक्षण का कार्य दिया जाना है, जिससे सामुदायिक सहभागिता बढ़ सके।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार, लाभार्थियों की सहायता करने, सरलीकरण के सुझाव गैप विश्लेषण एवं सामाजिक अंकेक्षण आदि का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं, नागरिक समितियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों/वरिष्ठ नागरिकों से करवाये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

विभाग की मुख्य योजनायें, जिनमें सकारात्मक सहभागिता ली जानी हैं:-

1. पालनहार योजना
2. सहयोग एवं उपहार योजना
3. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना
4. छात्रावास योजना
5. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
6. अन्य विभागीय योजनायें (जिनके कार्य जिला स्तर/विभाग स्तर द्वारा सौंपा जावे)

स्वयंसेवी संस्थाओं/सेवानिवृत्त व्यक्ति/नागरिक समितियों/वरिष्ठ नागरिक के द्वारा किये जाने वाले कार्य:-

1. आमजन को योजनाओं के प्रति जागरूक करना।
2. पात्र लोगों व परिवारों का चिन्हिकरण करना तथा आवेदन तैयार करवाना।
3. आम लाभार्थी को योजना का लाभ दिलाने में सहायता करना।
4. योजना के सरलीकरण हेतु सुझाव देना एवं गैप विश्लेषण रिपोर्ट।
5. मौके पर जाकर लाभार्थी का भौतिक सत्यापन करना एवं सामाजिक अंकेक्षण।

स्वयंसेवी संस्थाओं/ नागरिक समिति/सेवानिवृत्त व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक की पात्रता:-

1. स्वयंसेवी संस्था पंजीकृत हो।
2. स्काउट गाईड/एनएसएस/एनसीसी के विद्यार्थी अपनी शिक्षण संस्था/यूनिट तथा नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवक अपने जिला युवा समन्वयक के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत्त व्यक्ति जो निःस्वार्थ सामाजिक सेवा में लूचि रखते हो।
4. संस्था/नागरिक समितियों/व्यक्ति गैर राजनीतिक एवं समर्पित भाव से निःस्वार्थ सेवा करते हो।
5. संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत्त व्यक्ति, जिसके विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो तथा संस्था ब्लैक लिस्टेड नहीं हो।
6. संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत्त व्यक्ति प्रतिष्ठित श्रेणी के हों तथा उनका आचरण अच्छा हो।

संस्था/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत्त व्यक्ति की चयन प्रक्रिया:-

1. स्वयंसेवी संरथाओं/सेवानिवृत्त व्यक्ति/नागरिक समिति/वरिष्ठ नागरिक के अनुमोदन पत्र निदेशालय राजस्थान द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।
2. आवेदन संबंधित जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. प्राप्त प्रस्तावों की जांच एवं परीक्षण हेतु निम्नांकित कमेटी गठित की जायेगी:-

 - जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 - उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें/महेला अधिकारिता
 - सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी/परीवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी में से जिले में पदस्थापित कोई एक वरिष्ठ अधिकारी

4. जिलाधिकारी चयन समिति की मिटिंग आमंत्रित करेगा तथा प्रस्ताव कमेटी की अभिशंषा के पश्चात अनुमोदन हेतु जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।
5. जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जिलाधिकारी चयनित स्वयंसेवी संरथाओं/सेवानिवृत्त व्यक्ति/नागरिक समितियों/वरिष्ठ नागरिक की सूची तैयार करेगा तथा उन्हें योजना/क्षेत्रवार कार्य आंवित करेगा।
6. चयन प्रक्रिया सतत रहेगी अर्थात् इच्छुक स्वयं सेवी संरथा/वरिष्ठ नागरिक/नागरिक समिति/सेवानिवृत्त व्यक्ति वित्तीय धर्ष पर्यंत आवेदन कर सकेंगी एवं जिलाधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया से सूचीबद्ध किया जायेगा।

कार्य की निगरानी, संस्था/व्यक्ति को हटाया जाना तथा प्रोत्साहन:-

1. संबंधित स्वयंसेवी संस्था/सेवानिवृत्त व्यक्ति/नागरिक समिति/वरिष्ठ नागरिक से रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं निदेशालय स्तर के प्रकरणों को निदेशालय को अग्रेषित किये जायेंगे।
2. उक्त कार्य पूर्णतः स्वैच्छिक एवं निःशुल्क होगा, चयनित स्वयंसेवी संरथा/सेवानिवृत्त व्यक्ति/नागरिक समिति/वरिष्ठ नागरिक को कोई शुल्क/अनुदान नहीं दिया जायेगा।
3. स्वयंसेवी संरथा/सेवानिवृत्त व्यक्ति/नागरिक समिति/वरिष्ठ नागरिक के क्रियाकलाप विभाग के उद्देश्यों के अनुरूप न होने, चरित्र एवं व्यवहार की शिकायत पाई जाने पर संबंधित को उक्त कार्य से हटाया जा सकेगा।
4. प्रत्येक जिले में उक्त कार्य करने वालों में से श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्था/व्यक्ति को समाज कल्याण सप्ताह समारोह में सम्मानित किया जायेगा।

(पृष्ठ १) ✓
 (शुभं शर्मा)
 आयुक्त एवं शासन सचिव,
 सान्याअवि

**क्रमांक:- एफ 15 ()सा.सु./वृ.क./सान्याअवि/18-19/ ५९१० - २० दिनांक 29/01/19
 प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, निदेशालय बाल अधिकारिता/विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर,।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, सर्तकता एवं प्रशासन, सान्याअवि, मुख्यावास।
7. समस्त प्रमारी अधिकारी, सान्याअवि, मुख्यावास।
8. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि,।
9. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सान्याअवि,।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)
 (अशोक कुमार)
 अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

स्वयंसेवी संस्थाओं/सेवानिवृत व्यक्ति/नागरिक समितियों/वरिष्ठ नागरिक हेतु आवेदन पत्र/प्रस्ताव

आवेदक/संस्था का नाम

ठिन्ह का नाम

उम्र

पर्सनल पता

ग्राम/वार्ड

ग्राम पंचायत/नगरीय विकास

तहसील..... जिला

संस्था का रजिस्ट्रेशन क्रमांक दिनांक

फोन नं.

शैक्षणिक योग्यता.....

कार्य अनुभव

कार्य जो करना चाहते हो-

संस्था/मैं गैर राजनीतिक एवं निःखार्थ एवं समर्पित भाव से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक सहभागिता के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। मैंने विभाग के दिशा-निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर ली है। इस कार्य हेतु बिना किसी अनुदान/शुल्क के कार्य करने का इच्छुक हूँ। मेरे क्रियाकलापों एवं व्यवहार में किसी प्रकार की शिकायत पाई जाने पर विभाग द्वारा मुझे उक्त कार्य से हटाया जा सकता है।

दिनांक :

हस्ताक्षर आवेदक

मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग (समझौता ज्ञापन)

(MOU)

यह एम.ओ.यू. आज दिनांक माह सन को प्रथम पक्ष

(जिसे इसमें आगे संरथा/ नागरिक समिति/ सेवानिवृत व्यक्ति/ वरिष्ठ नागरिक कहा गया है तथा इस अभियानित में जहाँ सन्दर्भ किया हुआ समझा जायेगा) तथा द्वितीय पक्ष आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिसे आगे जिलाधिकारी कहा गया है, के मध्य सम्पन्न किया गया है।

प्रस्तावना:- विभाग के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने, प्रचार प्रसार करने एवं योजनाओं के सरलीकरण आदि के सुझाव देने के कार्यों को स्वयंसेवी संस्थाओं/ सेवानिवृत व्यक्तियों/ वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से करवा कर पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ा जाना है।

राजस्थान राज्य में विभाग के माध्यम से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित पात्र व्यक्तियों को जोड़ने / क्रियान्वयन में रह रहे गैप का विश्लेषण करने/ जनजागरूकता पैदा करने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं/ सेवानिवृत व्यक्तियों/ वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से किया जायेगा। कार्य संचालन विभाग के जिला स्तर पर रिस्त कार्यालयों के माध्यम से किया जायेगा। स्वयंसेवी संस्थाओं/ सेवानिवृत व्यक्तियों/ वरिष्ठ नागरिकों को उक्त कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान/ वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जावेगी। निःस्वार्थ भाव से निःशुल्क कार्य करने को सहमत संस्था/ नागरिक समिति/ सेवानिवृत व्यक्ति/ वरिष्ठ नागरिक (नाम) के साथ यह विलेख निम्नलिखित शर्तों पर संपादित किया जाता है:-

- उक्त कार्य पूर्णतः स्वैच्छिक एवं निःशुल्क होगा, चयनित स्वयंसेवी संस्था/ सेवानिवृत व्यक्ति/ नागरिक समिति/ वरिष्ठ नागरिक को कोई शुल्क/ अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- स्वयंसेवी संस्था/ सेवानिवृत व्यक्ति/ नागरिक समिति/ वरिष्ठ नागरिक के क्रियाकलाप विभाग के उद्देश्यों के अनुरूप न होने, चरित्र एवं व्यवहार की शिकायत पाई जाने पर संबंधित को उक्त कार्य से हटाया जा सकेगा।
- प्रारम्भ में यह समझौता ज्ञापन 2 वर्ष के लिये होगा राज्य सरकार यदि उचित समझेगी तो उपरोक्त उल्लेखित संस्था/ व्यक्ति को दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी।
- स्वयंसेवी संस्था/ नागरिक समिति का पंजीकरण नम्बर है।
- स्काउट गार्ड/ एनएसएस/ एनसीसी के विद्यार्थी शिक्षण संस्था/ यूनिट जिला युवा समन्वयक से संबंधित है तथा नेहरू युवा केन्द्र के स्वयंसेवक से संबंधित/ अनुमोदित है।
- संस्था/ वरिष्ठ नागरिक/ नागरिक समिति/ सेवानिवृत व्यक्ति जो निःस्वार्थ सामाजिक सेवा में रुचि रखने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
- संस्था/ वरिष्ठ नागरिक/ नागरिक समिति/ सेवानिवृत व्यक्ति को उनके विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने तथा संस्था के ब्लैक लिस्टेड नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
- वरिष्ठ नागरिक/ सेवानिवृत व्यक्ति प्रतिष्ठित श्रेणी के हों तथा उनका आचरण अच्छा हो के संबंध में 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा।
- एमओओयू की अवधि समाप्ति पर अथवा अवधि पूर्व एम.ओ.यू. के निरस्त होने पर संस्था/ व्यक्ति द्वारा विभाग से प्राप्त सामग्री विभाग को सुपुर्द करनी होगी।

10. संस्था/व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/नियमों के अनुसार उत्तराधिकार करना है। और यू. अधिकारी के दौरान दिशा निर्देशों/नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर एस. दिरा व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगे।
11. संस्था/व्यक्ति द्वारा दी जा रही सेवाओं का विभागीय अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा समय समय पर मूल्यांकन करने का अधिकार होगा।
12. संस्था/व्यक्ति द्वारा बिना लाभ/हानि के आधार पर गतिविधियां संचालित करेंगे एवं किसी प्रकार के लाभार्जन करने का प्रयास नहीं करेगी।
13. विभागीय जिलाधिकारी द्वारा जारी कार्य आवेदन आदेश के पालना करनी होगी। जिलाधिकारी को ग्रतिमाह कार्य मूल्यांकन/प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।
14. एम.ओ.यू. की शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करने पर तथा कार्य के दौरान अनियमितताएं पाये जाने पर एम.ओ.यू. निर्धारित समय/अवधि से पूर्व निदेशक/आयुक्त द्वारा एम.ओ.यू. सकारण निरस्त किया जा सकेगा।

विभाग के लिये एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर	संस्था प्रमुख/व्यक्ति/नागरिक समिति के हस्ताक्षर
पद नाम	नाम—
दिनांक	पता
1—साक्षी	2—साक्षी

स्वयंसेवी संस्था, नागरिक समिति, सेवानिवृत्त व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला
मासिक मूल्यांकन प्रतिवेदन :—

माह का नाम / वर्ष.....

1. रव्यंसेवी संस्था, नागरिक समिति, सेवानिवृत्त व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक का नाम.....

2. पूर्ण पता.....

3. योजना/गतिविधि का विवरण.....

4. माह के दौरान तैयार करवाये गये आवेदन पत्रों का विवरण.....

क्र.सं.	नाम योजना	तैयार करवाये गये आवेदन पत्रों की संख्या	आवेदकों का नाम	पता

5. माह के दौरान किये गये भौतिक सत्यापन तथा सामाजिक अंकेक्षण का विवरण:-

क्र.सं.	नाम योजना	भौतिक सत्यापन / सामाजिक अंकेक्षण का दिनांक	लाभार्थीयों का नाम एवं पता	भौतिक सत्यापन / सामाजिक अंकेक्षण में पायी गयी स्थिति

6. प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम

क्र.सं.	नाम योजना	प्रचार-प्रसार का विवरण	कैम्प का दिनांक व स्थल	लाभार्थीयों की संख्या

7. योजनाओं के सरलीकरण हेतु सुक्षाव एवं गैप विश्लेषण रिपोर्टः—

क्र.सं.	नाम योजना	सरलीकरण हेतु सुक्षाव	गैप विश्लेषण	विशेष विवरण

8. विभाग से संबंधित अन्य कार्य/सहभागिता का विवरणः—

रिपोर्ट प्रस्तुत कर्ता का नाम / संस्था का नाम व हस्ताक्षर